(14)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मोती महल ग्वालियर म0प्र0

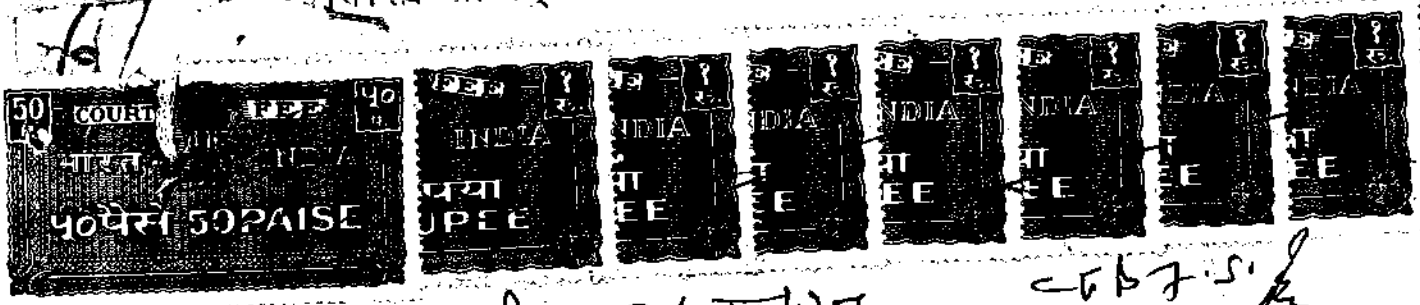

अपील 36-नग/97

रामप्रमाण तनय सहदेव वैसवार निवासी ग्राम आड़ेमाड़ी तहसील देवसर जिला सीधी म0प्र0 ------ अपीलान्ट

कलेक्टर रीवा, म.प्र.
7 FEB 1997

बनाम

1. बुद्ध सिंह } पिसरान बाबूलालसिंह
2. सहदेव } दोनो निवासी ग्राम बघाडोल त0देवसर जिला सीधी म0प्र0 ------ रेस्पाडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरणक्रमांक 491/अपील/87-88 में पारित आदेश दिनांक 13•12•96

---

अन्तर्गत धारा 44 (2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

---

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यह कि विवादित भूमियों के भूमिस्वामी 1958 के पूर्व शिकस्त थे। नायबतहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 11/63-64/अ26 में पारित आदेश दिनांक 24•7•64 को अपीलान्ट को भूमिस्वामी अभिलिखित करने का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध सन् 1980 में रेस्पाडेन्टगणों ने अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 11•10•82 को स्वीकार हुआ जिससे पीड़ित होकर द्वितीय अपील दिनांक 2•9•87 कोप्रस्तुत की जिसमें-स साथ धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत आवेदन-पत्र दिया। मूल प्रकरण के साथ- धारा 5 के आवेदन-पत्र पर सुनवाई कर अपर आयुक्त महोदय ने अपील निरस्त किया जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अपील के आधार निम्नलिखित है:-

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 36–तीन/97 जिला –सीधी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14.7.16 | अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 491/अपील/87–88 में पारित आदेश दिनांक 13.12.96 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।<br>आवेदक द्वारा यह तृतीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत है। तथा तृतीय अपील का प्रावधान न होने के कारण इस प्रकरण को निगरानी में आदेश पारित किया जा रहा है।<br>2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक के बाबा के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की होकर अनावेदकगण कमांक–1 जर्ये गहन उपर कृषि कराता था। बाद में हिस्सा बांट में आवेदक ने उस पर कृषि कार्य कराना शुरू करा दिया । फिर भी उन्हें सूचना दिये बिना बादग्रस्त भूमि को शिकस्त कर अपीलांट्गण को भूमि स्वामी स्वत्व कर दिया। इस से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्गण अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 52/85–86 | |

पर दर्ज होकर उसमें आदेश दिनांक 11.10.82 पारित कर अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इससे दुखित होकर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत जिसमें अपर आयुक्त रीवा ने धारा-5 के आवेदन पर म्याद की गणना के आधार पर अपील निरस्त की गई है इससे परिवेदित होकर राजस्व मण्डल में अपील/निगरानी प्रस्तुत की है।

3- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आवेदक को आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण वह समय पर न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका । उनका यह भी कहना है कि अपर आयुक्त द्वारा धारा 5 के आवेदन पर विचार किये बगैर आदेश पारित किया है विधि के अनुरूप नहीं है । उनके द्वारा कहा गया है कि धारा-5 अधिनियम 1963 के साथ शपथ पत्र भी लगाया गया था उसमें अवधि समय का उल्लेख किया गया था जो अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण गुण दोष के आधार पर निराकरण न करते हुये मात्र समयअवधि के अभाव अपील निरस्त कर दी गई है ।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया । इसमें यह तथ्य भी सामने आया है कि अपीलांट ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की तथा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के

न्यायालय में प्रस्तुत की, तथा तृतीय अपील को कोई प्रावधान नहीं है तथा जो राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। इस तथ्य को आवेदक अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में नहीं कहा गया है कि अपील को निगरानी में सुना जावे। यन्यायहित में अपील को निगरानी में सुना गया । आवेदक एवं अनावेदक के मध्य बटवारा हुआ है आवेदक ने अपनी भूमि गहन पर कृषि कार्य करने हेतु प्रदाय की जो गुपचुप रूप से आवेदक शेषमणि द्वारा अपने नाम अभिलेख में दज्र करा ली गई, जिसकी सूचना होने पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जो स्वीकार हुई।

5– मेरे द्वारा आवेदक की निगरानी मेमों का अध्ययन करने पर पाया गया है कि उनके द्वारा पैरा 10 में उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के यहां दिनांक 11.10.82 को ही आदेश हो गया था लेकिन दिनांक 20.8.87 को जानकारी हुई जब हल,बेल के साथ अनावेदकगण खेत जोतने के लिये पहुंचे । उनके द्वारा बताया गया कि पटट्ा अब मेरे नाम हो गया है। लेकिन यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि लगभग–5 वर्ष पश्चात पटवारी आदि ने कोई इन्हें सूचना नहीं दी हो।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि आवेदक को आदेश की सूचना थी तथा जो अपील निरस्त की गई है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी सरहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस की जावे। उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य